

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

दिनांक 4-7-05

क्रमांक. एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनु/2005-06/38

कुल सचिव
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर


विषय-- निजी महाविद्यालयों को स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधित ।

महोदय,

कौशल्या देवी बालिका महाविद्यालय, मण्डावर दौराको वर्ष 2002-03 में आदेश क्रमांक प.2(29)शिक्षा-4/2002 दिनांक 12.7.02 द्वारा अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था । राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अथ अकादमिक सत्र 2005-06 से पूर्व में संघटित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाना है -

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करनी होगी ।
3. संस्था द्वारा निर्धारित एण्डोमेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी ।
4. संस्था द्वारा अध्यापन हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधायें (Infrastructural facilities) उपलब्ध करानी होगी ।
5. संस्था समय पर यूजीसी/ राज्य सरकार / आयुक्त, कालेज शिक्षा, द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
6. संस्था पूर्व में जारी एन.ओ.सी. की समस्त शर्तों की पालना करने के लिए उत्तरदायी होगी । शर्तों की पालना न करने या उनका उल्लंघन करने पर प्रदत्त एन.ओ.सी. को आहरित (Withdraw) भी किया जा सकता है ।
7. संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी ।
8. संस्था को अकादमिक स्टैण्डर्ड बनाये रखने हेतु प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करने का दायित्व स्वयं का होगा ।
9. आपको दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।

भवदीय,


(एस.एल.ओ.सी.)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप 4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलेक्टर, दौरा
8. आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


प्रसिध

कौशल्या देवी बालिका (PC)
विद्यालय मण्डावर (दौरा)
दिनांक 4-7-05